भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

1-15 दिसंबर 2020

हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

- सऊदी अरब ने भारत विरोधी आंदोलन समर्थकों को निकाला
- इजरायल द्वारा मुस्लिम देशों से सम्पर्क बढ़ाने का अभियान
- फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नया कानून
- मस्जिद की आड़ में साम्प्रदायिकता भड़काने का प्रयास

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

अनुक्रमणिका

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

सारांश 03

राष्ट्रीय
हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन 04
लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में कानून की तैयारी 07
सऊदी अरब ने भारत विरोधी आंदोलन समर्थकों को निकाला 08
09
कर्नाटक में गोवध के खिलाफ कानून 11

विश्व
अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति के लिए प्रारंभिक संधि 13
कंधार के समीप घमासान युद्ध 14
फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी 14
अमेरिकी कांग्रेस में तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंधों का बिल मंजूर 15
नाइजीरिया में इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा 110 किसानों की हत्या 17
न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमले की जांच रिपोर्ट 18

पश्चिम एशिया
ईरान में विश्व संगठनों द्वारा परमाणु संस्थानों के निरीक्षण पर रोक 19
इजरायल द्वारा मुस्लिम देशों से सम्पर्क बढ़ाने का अभियान 20
इजरायल पर जंग छेड़ने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप 21
सऊदी अरब और कतर के बीच शांति समझौते की संभावना 23
बेरूत धमाके में प्रधानमंत्री पर लापरवाही का आरोप 23

अन्य
रामपुर में एक मजार को ध्वस्त करने पर विवाद 24
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में नए सदस्यों का मनोनयन 25
बांग्लादेश में सात व्यक्तियों को फांसी 26
फिलीस्तीन की स्थापना से पहले इजरायल से संबंध नहीं 26
चीन द्वारा पाकिस्तान को डेढ़ अरब का कर्ज 26

सारांश

हैदराबाद नगरनिगम के हाल के चुनाव परिणामों से इस बात का संकेत मिलता है कि भविष्य में दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने पैर आसानी से पसार सकती है। भाजपा हाईकमान ने इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही कारण है कि इन चुनावों में भाजपा दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई है। सबसे ज्यादा नुकसान सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को हुआ है, जिसके सदस्यों की संख्या 99 से घटकर 55 रह गई है। इन चुनावों में पहली बार भाजपा को शानदार सफलता मिली है और उसने 4 से 48 सीटों तक का सफर तय किया है। हालांकि मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के सदस्यों की संख्या यथावत बनी रही।

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद रोकने के लिए कानून में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम धोखे से या जबरन विवाह करने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। इस कानून के तहत दोषी को 5 से दस वर्ष की कैद और एक लाख तक की जुर्माने की सजा हो सकेगी।

कुछ स्वार्थी तत्व मस्जिदों की आड़ लेकर समाज के एक वर्ग को हिंसा के लिए भड़काने की खतरनाक कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कुछ उर्दू अखबारों ने दिल्ली की मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम को लेकर इस बात का प्रचार किया है कि इस मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर निर्माण करने की साजिश रची जा रही है। इसके बाद देश के कुछ उर्दू अखबारों ने मुस्लिम समुदाय को सरकार और भाजपा के खिलाफ भड़काने का जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। इस तरह के जहरीले अभियान को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि देश में शांति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रहे।

इजरायल दिन-प्रतिदिन अमेरिका के सहयोग से अरब देशों के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। कहा जाता है कि अमेरिका को नीति यह है कि मुस्लिम देशों को विभाजित करके सऊदी अरब के नेतृत्व में उन्हें तुर्की और ईरान के मुकाबले में खड़ा किया जाए। गत दिनों इजरायल के तीन नए देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। जबकि अन्य चार देशों के साथ उसके संबंध इससे पूर्व से ही थे। इजरायली सूत्रों के अनुसार इजरायल एक दर्जन से अधिक मुस्लिम देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। हाल ही में उसे मोरक्को ने भी मान्यता दे दी है। सबसे रोचक बात यह है कि हालांकि इन दोनों देशों के बीच पहले राजनयिक संबंध नहीं थे मगर इसके बावजूद इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद मोरक्को के शाह के साथ गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान करती आ रही है। अब यह बात भी उजागर हुई है कि 1967 में अरब देशों और इजरायल के युद्ध के दौरान इजरायल को जो शानदार सफलता मिली थी उसका मुख्य कारण उसे मोरक्को द्वारा अरब देशों के संबंध में दी गई गुप्त सूचनाएं थीं। इसका असर यह हुआ कि इजरायल पर हमला करने से पूर्व ही इजरायल की वायुसेना ने मिस्र, जॉर्डन आदि अरब देशों के विमानों को उनके हवाई अड्डों पर खड़े-खड़े तबाह कर दिया था।

हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन

भाजपा ने तेलंगाना की राजनीति में प्रवेश करने के लिए जो जोरदार प्रयास किया था उसे उसमें सफलता मिल गई है। वह हैदराबाद नगरनिगम के चुनाव परिणाम के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।

दैनिक इत्तेमाद (5 दिसंबर) के अनुसार हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में विफल रही है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को गहरा झटका लगा है और उसे सिर्फ 55 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई है। भाजपा ने 48 सीटें, एमआईएम ने 44 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। 2016 के चुनाव में टीआरएस को 99 सीटें प्राप्त हुई थीं। इन चुनाव परिणामों ने टीआरएस को मजलिस के साथ गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया है। मजलिस को 2016 में 44 सीटें प्राप्त हुई थीं और इस बार भी उसे 44 सीटों पर ही सफलता मिली है। हैदराबाद में पहली बार भाजपा को भारी संख्या में सीटें प्राप्त हुई हैं। भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और उसने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अपने अनेक मुख्यमंत्रियों को इस अभियान में झोंक दिया था। 150 वार्डों में से टीआरएस ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जबकि भाजपा ने 149, कांग्रेस ने 146, तेलुगु देशम पार्टी ने 102, सीपीआई ने 17, सीपीएम ने 12 और एमआईएम ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में 487 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। इन चुनावों में तेलगु देशम पार्टी, सीपीएम और सीपीआई का खाता भी नहीं खुला।

हैदराबाद नगर निगम के चुनावों पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव में मजलिस और भाजपा ने साम्प्रदायिक एजेंडे पर

जोर दिया था। जबकि कांग्रेस सेक्युलर उसूलों पर लड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीआरएस ने इन चुनावों में सरकारी मशीनरी और धन का डटकर इस्तेमाल किया। कांग्रेसी नेताओं ने अपने हताश कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि वे इन परिणामों से हताश न हों। ये अस्थाई हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शानदार विजय प्राप्त होगी और कांग्रेस मजलिस के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी।

इन चुनावों का विश्लेषण करते हुए **सियासत** (6 दिसंबर) ने दावा किया है कि टीआरएस के नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि इन चुनावों में पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली और ग्रेटर हैदराबाद में भाजपा ने पहली बार इतनी सीटें प्राप्त की हैं। टीआरएस ने इस बात को स्वीकार किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी को कमजार करना उनकी राजनीतिक गलती थी और इसका लाभ भाजपा ने उठाया। 2014 में तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद से तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। इसका एक यह भी कारण था कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जा विधायक चुने गए थे उनमें से अधिकांश टीआरएस में शामिल हो गए। टीआरएस ने राज्य की जनता में अपने संपर्क अभियान को तेज करने का फैसला किया है। सियासत ने लिखा है कि इन चुनावों में हार का एक मुख्य कारण सत्तारूढ़ दल से सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी है।

इत्तेमाद (5 दिसंबर) के अनुसार मजलिस नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया है कि हैदराबाद में भाजपा को जो सफलता मिली है वह अस्थाई है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव अभियान के दौरान जिन क्षेत्रों में गए थे उनमें भाजपा बुरी तरह से हारी है। उन्होंने कहा कि मजलिस लोकतांत्रिक ढंग से भाजपा का मुकाबला करेगी और उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की पूरी कोशिश करेगी।

इत्तेमाद (3 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में यह स्वीकार किया है कि हैदराबाद के लोगों की चुनावों में दिलचस्पी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है।

इत्तेमाद (5 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में नगर निगम के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि भाजपा ने हिन्दू साम्प्रदायिकता का जो कार्ड खेला था उसमें वह सफल रही और उसकी साम्प्रदायिकता के आगे टीआरएस का विकास का नारा विफल रहा। हैरानी की बात यह है कि राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने भारी संख्या में अपने उम्मीदवार तो खड़े कर दिए मगर चुनाव अभियान की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। एक मुसलमान को चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया गया, जिसके कारण साम्प्रदायिक ध्वीकरण जोरों से हुआ। इसी तरह से तेलुगु देशम भी इन चुनावों के प्रति पूरी तरह उदासीन रही। इत्तेमाद ने यह आरोप लगाया है कि इन चुनावों में भाजपा की जो ताकत बढ़ी है उसके पीछे कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने जानबूझकर राज्य से कांग्रेस के सफाए की कोशिश की। इसके साथ ही अपना निशाना तेलुगु देशम पार्टी को भी बनाया और इसमें वे सफल भी रहे। सेक्युलर ताकतों को

ठिकाना लगाने का यह प्रयास उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी। इसके कारण प्रदेश की राजनोति में जो रिक्तता पैदा हुई उसका लाभ आरएसएस ने उठाया और दक्षिण में अपने पैर जमाने के लिए इन चुनावों में भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। सवाल यह है कि क्या यही स्थिति बंगाल में भी दोहराई जाएगी?

इंकलाब (8 दिसंबर) ने जिलानी खान का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद में भाजपा को जो सफलता मिली है उसमें मीडिया की सबसे ज्यादा भूमिका है। उसने भाजपा क भोंपू के रूप में काम किया। सच्चाई यह है कि सत्तारूढ़ टीआरएस यह चुनाव हार गई है और उसे 44 सीटों से हाथ धोना पड़ा है। वहीं तीसरे नम्बर पर होते हुए भी मजलिस किंगमेकर बन गई है। लेखक ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि हालांकि वर्तमान सरकार में मुसलमानों का वजूद ही खतरे में है मगर फिर भी मुस्लिम मतदाता इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा ने कोई तीर नहीं मारा है बल्कि हिन्दुत्व के प्रचार के कारण कांग्रेस और तेलुगु देशम के वोटरों ने अपने वोट भाजपा को देकर हवा के रूख को ही बदल दिया है।

इंकलाब ने 5 दिसंबर के सम्पादकीय का शीर्षक दिया है– 'नहीं चला अमित शाही निजाम'। समाचारपत्र के संपादक शकील शम्सी का कहना है कि भाजपा ने जिस तरह से हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में दिलचस्पी ली है इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मीडिया के वफादार चैनलों ने इस चुनाव को संसद का चुनाव बना दिया। उन्हें इस बात का यकीन था कि भाजपा इस चुनाव में मैदान मार लेगी। कुछ चैनल तो यह भी बता रहे थे कि हैदराबाद में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 32 प्रतिशत है जबकि हिन्दू 60 प्रतिशत हैं। इसलिए भाजपा की विजय निश्चित है।

हमारा अनुमान यह है कि हैदराबाद के चुनाव को इसलिए भाजपा ने राष्ट्रीय महत्व दिया ताकि वह देशवासियों की नजर में स्वयं को मजलिस का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध कर सके। वे इस तरह से दोहरा फायदा हासिल करना चाहती थी। पहला यह कि हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो

और दूसरा यह कि ओवैसी से बड़ा भाजपा का कोई दुश्मन नहीं है। अभी तक ओवैसी की भूमिका सेक्युलर पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा को सत्ता में लाने की रही है। यह साफ है कि अगर ओवैसी बंगाल में चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उससे सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को ही होगा।

लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में कानून की तैयारी

रोजनामा सहारा (7 दिसंबर) के अनुसार देश के अनेक राज्यों में लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने धर्म की आजादी के कानून में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत दो या इससे अधिक लोगों का धर्मांतरण करने वालों को पांच से दस वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बहला फुसलाकर या डरा-धमकाकर शादी करने या साजिश करके किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं कर सकेगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसमें लव जिहाद को रोकने के लिए जरूरी संशोधन किया जा रहा है। अगर लव जिहाद के कारण कोई बच्चा पैदा होता है तो मां और उसके बच्चे की जिम्मेवारी उसके पिता की होगी और उसके बच्चे को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ऐसे मुकदमों की जांच इंस्पेक्टर के दर्जे से कम का अधिकारी नहीं कर सकेगा और इस मुकदमें की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करने की कोशिश करता ह तो पीड़ित लड़की के माता-पिता और रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई आरोपी इस कानून में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। आरोपी को न्यायालय में यह सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

लव जिहाद के आरोपी को एक से पांच वर्ष तक की कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा होगी। जबकि नाबालिग महिला या दलित, आदिवासी महिलाओं को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले को दो से दस वर्ष तक की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था हागी। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छिपाकर विवाह करता है तो उसे तीन से दस वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि कोई भी प्रलोभन या धमकी देकर विवाह न करे और न ही धोखे से किसी का धर्मांतरण किया जाए।

सऊदी अरब ने भारत विरोधी आंदोलन समर्थकों को निकाला

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार भारत में जब नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन चला था तो उसका समर्थन कई देशों और संस्थाओं ने किया था जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय यूनियन और खाड़ी देशों में काम करने वाले हिन्दुस्तानी मुसलमान भी शामिल थे। जिन्होंने सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से शाहीन बाग के आंदोलन का समर्थन किया था। मगर अब सऊदी अरब ने शाहीन बाग का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों को अपने देश से निष्कासित करने का अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब ने ऐसे कई दर्जन उन भारतीय मूल के मुसलमानों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है जिन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रियाद में प्रदर्शन किया था।

बताया जाता है कि सऊदी अरब का गुप्तचर विभाग शाहीन बाग का समर्थन करने वाले और वहां के प्रदर्शनकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की सूची तैयार कर चुका है। अब उन्हें धीरे-धीरे गिरफ्तार करके सऊदी जेलों में रखा जा रहा है। यहां से उन्हें भारत के लिए भेजा जा रहा है। यह भी पता चला है कि खाड़ी के कई अन्य मुस्लिम देश जिनमें कतर, संयुक्त अरब अमोरात, कुवैत और दुबई आदि शामिल हैं, शाहीन बाग के समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खाड़ी देशों में किसी भी तरह के प्रदर्शन का प्रतिबंध है। उस समय वहां रहने वाले भारतीय मुसलमानों ने भारत में चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन में प्लेकार्ड उठाकर प्रदर्शन तो कर दिए थे मगर अब उन्हें यह महंगा पड़ रहा है।

मस्जिद की आड़ में साम्प्रदायिकता भड़काने का प्रयास

मुंबई उर्दू न्यूज (10 दिसंबर) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर समाचार प्रकाशित करते हुए उसका शीर्षक दिया है- "कुतुब मीनार की मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम पर फिरकापरस्तों की नजर। मंदिर के निर्माण के लिए न्यायालय में अर्जी।" दिल्ली क साकेत कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम पर अपना दावा पेश किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था और उनके पास इस आरोप को सिद्ध करने के लिए प्रमाण मौजूद हैं। इसलिए तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए और वहां पर 27 देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यह याचिका एक वकील हरिशंकर जैन की ओर से दायर की गई है। सिविल जज ने कहा है कि याचिका काफी लम्बी है और इसके तथ्यों पर विचार करने की जरूरत है। न्यायालय ने इस मामले पर अगली पेशी 24 दिसंबर को निर्धारित की है।

न्यायालय में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को पेश करते हुए कहा है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कदम रखते ही इन 27 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जल्दबाजी में मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेषों से मस्जिद बना दी गई। फिर इस मस्जिद को मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम का नाम दिया गया। इसके निर्माण का लक्ष्य उपासना की बजाय हिंदुओं और जैनियों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना था और इस्लाम की शक्ति का प्रदर्शन करना था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि हालांकि मस्जिद का निर्माण 1192 ई. में हुआ था। लेकिन मुसलमानों ने इसमें कभी नमाज अदा नहीं की। क्योंकि इसमें हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस इमारत के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद भी सरकार ने हिंदुओं और जैनियों को अपने पक्ष को पेश करने का मौका नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त यह वक्फ की संपत्ति भी नहीं है। इस समय यह सरकार के कब्जे में है।

दैनिक सियासत ने 10 दिसंबर के अंक में मुख्य पृष्ठ पर एक शीर्षक दिया है- "दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम को शहीद करने की साजिश।" समाचारपत्र के अनुसार राजधानी दिल्ली मं कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक और ऐतिहासिक मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश की जा रहो है। दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के खिलाफ न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसलिए मस्जिद की जगह मंदिर को बहाल किया जाए। नई दिल्ली की कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। याचिका में यह दावा किया गया है कि यह कुतुब मीनार परिसर भूतकाल में जैन और हिन्दू मंदिरों का था। मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त करके इस मस्जिद का निर्माण किया था। न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि इसे पुन: मंदिर का रूप दिया जाए ताकि हिंदू व जैन वहां पर पूजा-पाठ कर सकें। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए मस्जिद की जमीन हिंदुओं के हवाले कर दी थी और केन्द्र सरकार को उस पर मंदिर बनाने का निर्देश दिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) के अनुसार दिल्ली के वरिष्ठ वकील मसरूर सिद्दीकी ने ईटीवी पर कहा है कि याचिकाकर्ता का दावा बहुत कमजोर है। वह हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता है। इसी व्यक्ति ने पहले मथुरा की ईदगाह पर भी मंदिर बनाने के लिए याचिका दायर की थी जिसे स्थानीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मसरूर सिद्दीकी ने कहा कि इस वक्त यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है और पहले ही एक कानून बन चुका है कि 15 अगस्त, 1947 तक कोई भो उपासना स्थल जिस स्थिति में था उसे यथावत रखा जाएगा।

इसी समाचारपत्र ने अपने इसी अंक में वारिस नामक लेखक का एक बहुत भड़काऊ लेख प्रकाशित किया है। लेखक ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मुकदमें का फैसला जिस दिन राम मंदिर के पक्ष में बड़ी बेईमानी के साथ दिया गया था वह फैसला हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायपालिका पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर गया था। उस दिन को आज भी भारतीय मुसलमान काला दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस फैसले के कारण मथुरा की मस्जिद भी हिंदुओं के आंखों में खटकने लगी है। अब वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि मथुरा की मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बनवाया जाए। यह मांग इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा के शासनकाल में हर चीज संभव है। बाबरी मस्जिद का फैसला भी इसी 'मोदी है तो मुमकीन है' का संकेत है। अब उनकी नजर मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम पर भी जा पहुंची है और इसे भी शहीद करने की मांग की जा रही है।

अखबार में छपे लेख में कहा गया है कि सच्चाई तो यह है कि बाबरी मस्जिद की बेइमान जीत के बाद ही हिंदुओं में वह ताकत पैदा हो गई है कि वे हर किसी मस्जिद को निशाना बनाने पर तुल गए हैं। इसे उनका खुफिया एजेंडा ही कहा जा सकता है। यह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं

है। यह बात भी अब आम हो गई है कि खुफिया एजेंडा सिर्फ बाबरी को ध्वस्त करने तक ही नहीं था बल्कि उसमें हर मस्जिद शामिल है। कभी गाय के नाम पर, कभी जय श्रीराम के नाम पर जबर्दस्ती मुसलमानों को मारा व काटा जा रहा है। मगर अभी तक इस मामले में किसी को अगर कोई सजा हुई है तो इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में मुसलमान क्या करें?

"हाल ही में चुनाव के बाद बिहार में भी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। अब हर गैर-मुसलमान भी यह जानता है कि बाबरी मस्जिद का फैसला इंसाफ का कत्ल है और इसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकारी दफ्तरों में मंदिर बनाए जा रहे हैं एवं मूर्तियां रखी जा रही हैं। हर जगह वृक्ष या कहीं भी पत्थर रखकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है और वहां मंदिर बन जाता है। आज हालात इतने बदतर हैं कि न तो मुसलमान सुरक्षित हैं और न ही उनके उपासना स्थल। अब यह जरूरत है कि मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि हर शरारती कार्रवाई को कैमरे में सुरक्षित किया जा सके। बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले किसी में यह हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई यह कह दे कि फलाना मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और उसे गिराकर वह जगह मंदिर ट्रस्ट के हवाले किया जाए। मगर जैसे ही बाबरी मस्जिद का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया तो बाकी मस्जिदें भी शरारती लोगों की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी। अफसोस की बात यह है कि पिछले छह वर्षों से एक बेइमान राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ है।

कर्नाटक में गोवध के खिलाफ कानून

इत्तेमाद (6 दिसंबर) के अनुसार कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि विधान परिषद का अधिवेशन स्थगित हो जाने के कारण गोवध पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक को मंजूरी नहीं मिल सकी। इसलिए सरकार ने इसे लागू करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि कर्नाटक में पशुओं के संरक्षण और उनके वध को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के अध्यक्ष ने इस विधेयक को पारित करने में हमें सहयोग नहीं दिया। सरकार ने परिषद के अध्यक्ष प्रतापचंद्र शेट्टी को पुनः अधिवेशन बुलाने के लिए कहा था और हमने इस संदर्भ में राज्यपाल के सामने याचिका भी पेश की थी कि विधान परिषद के अध्यक्ष को अचानक सदन को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। कृषि प्रधान देश हिन्दुस्तान में पशुपालन के लिए आय का एक साधन है और कृषि के काम में भी बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। विधानसभा इस विधेयक को पहले मंजूर कर चुकी है और राज्य के 90 प्रतिशत लोग इससे प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह आश्वासन दिया है कि गोवध करने वाले को सात वर्ष की कैद और दस हजार जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए गाय के संरक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था भी की जाएगी।

इस अध्यादेश की आलोचना करते हुए **सियासत** ने 13 दिसंबर के संपादकीय में कहा है कि भारतीय नागरिकों को क्या खाना चाहिए या नहीं, इसकी आड़ लेकर भारत के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कर्नाटक ने इस संदर्भ में जो कानून बनाया है वह महाराष्ट्र के कानून से भी सख्त और खतरनाक है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने जिन पशुओं को वध करने पर प्रतिबंध लगाया है उनमें गाय के साथ गाय का बछड़ा आर बैल के साथ-साथ भैंस का पाडा भी शामिल है। मगर भैंस और भैंसा का वध किया जा सकता है लेकिन उनकी आयु 13 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा उसे तीन से 7 साल की कैद और 50 हजार से लेकर एक लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून में पुलिस को यह पूरा अधिकार दिया गया है कि वह वध किए जाने वाले पशुओं की जांच करे। कर्नाटक के वर्तमान कानून में बैल, भैंसे और भैंस का वध करने की अनुमति थी। मगर अब भाजपा की सरकार ने बैल को वध करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा की सरकार अपने फैसलों और कानूनों द्वारा एक ओर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर नागरिकों को प्राप्त उस स्वतंत्रता का भी हनन किया जा रहा है जिनमें उन्हें इस बात का अधिकार दिया गया था कि वे जो चाहें खाएं। भाजपा सिर्फ अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए नागरिकों के इस अधिकार का भी हनन कर रही है। यह घोर निंदनीय है। भारत इस समय बीफ का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है और बीफ के कारोबार में भाजपा से संबंधित लोग ही ज्यादा लगे हुए हैं। किंतु भाजपा इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रही है और जनता भी चुप्पी साधे हुए है। संविधान के अनुच्छेद 19 में जनता को दिए गए अधिकारों को छीन लेने के बावजूद जनता मूकदर्शक बनी हुई है।

अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति के लिए प्रारंभिक संधि

इंकलाब (4 दिसंबर) के अनुसार अफगान सरकार और तालिबान के बीच तो समझौते और शांति स्थापना की जो बात चल रही थी उसके संबंध में एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और पाकिस्तान ने स्वागत किया है। इस समझौते के बाद युद्धबंदी क बारे में दोनों पक्ष विस्तृत बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान सरकार की वार्ता टीम के एक सदस्य नादिर नादिरी का कहना है कि मूलभूत दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, जिनके आधार पर आगे बातचीत शुरू की जाएगी। जबकि तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर इस समझौते की पुष्टि की है।

ज्ञातव्य है कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में अमेरिका के साथ तालिबान का समझौता हो जाने के बाद जो बातचीत शुरू हुई थी यह अंतरिम समझौता उसी का नतीजा है। हालांकि इस दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हैं। तालिबान ने यह कहा है कि जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता वे हमले का सिलसिला जारी रखेंगे। अमेरिका और तालिबान के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि विदेशी सेनाओं को मई 2021 तक अफगानिस्तान को खाली करना होगा। जबकि इसके बदले में तालिबान ने यह गारंटी दी थी कि व हमला नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका में प्रशासन बदल गया है मगर इसके बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान और इराक से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कटिबद्ध है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इससे अफगानिस्तान में शांति की पुनर्स्थापना की संभावना बढ़ गई है।

कंधार के समीप घमासान युद्ध

इत्तेमाद (13 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के नगर कंधार के समीप तालिबान और सरकारी सेनाओं के बीच हुए घमासान युद्ध में कम-से-कम 50 से अधिक तालिबान मारे गए हैं। तालिबान ने कंधार के आस-पास स्थित चौकियों पर एक साथ हमला किया था। इस हमले का सामना करने के लिए अफगान सरकार को अपनी स्थल सेना के साथ-साथ वायु सेना को भी मैदान में झोंकना पड़ा। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस युद्ध में सरकारी पक्ष को होने वाली क्षति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मगर यह दावा जरूर किया है कि इन हमलों में सात आत्मघाती आक्रमणकारियों सहित 63 तालिबान मारे गए हैं जबकि 23 घायल हुए हैं। सरकारी सेना तालिबान के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही है। पिछले एक सप्ताह से कंधार क्षेत्र में अफगान सेना और तालिबान के बीच भयंकर झड़पें हो रही हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 9 दिसंबर से लेकर अब तक 150 से अधिक तालिबान मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेना भी हवाई हमलों में सरकार का साथ दे रही है। एक अन्य हमले में 51 इस्लामिक जिहादी मारे गए हैं जबकि 9 जख्मी हुए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार तालिबान पर हुई बमबारी के सिलसिले में एक ही परिवार के 7 नागरिक भी मारे गए हैं।

फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी

सियासत (13 दिसंबर) के अनुसार फ्रांस की सरकार इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसका प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इस प्रारूप को तैयार करने में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने विशेष रुचि ली है ताकि देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कुचला जा सके। हाल ही में फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद में तेजी आई है। वहां पर इस्लामिक आतंकवादियों ने अनेक जगह पर हमले किए थे। इस वर्ष के अक्टूबर महीने में एक अध्यापक की गर्दन एक मुस्लिम युवक ने काट दी थी, जिसने अपनी कक्षा के बच्चों को मुसलमानों के पैगम्बर का चित्र दिखाया था। इसके बाद एक चर्च पर हमला करके तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कानून का जो प्रारूप तैयार किया गया है वह काफी नरम है।

उनका कहना है कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व इस्लाम विरोधी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रपति इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने के लिए कटिबद्ध हैं। जब इस कानून का प्रारूप संसद में पेश होगा तो इस पर जबर्दस्त बहस होने की संभावना है। क्योंकि फ्रांस में मुसलमान भारी संख्या में रह रहे हैं। उनकी संख्या का अनुमान 50 लाख से भी अधिक है। इस कानून में सीधे तौर पर मुसलमानों और इस्लाम का उल्लेख नहीं है बल्कि इसमें ईसाइ विरोधी, यहूदो विरोधी और इस्लाम विरोधी तत्वों को कुचलने का उल्लेख है।

प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने सफाई दी है कि इस प्रारूप के तहत केवल मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया गया है। इसका लक्ष्य फ्रांस को आतंकवाद से बचाना है और इस्लाम को कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग फ्रांस के सांस्कृतिक मूल्यों और हमारे वातावरण को स्वीकार नहीं करते उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग फ्रांस की एकता को खंडित करना चाहते हैं और नफरत एवं हिंसा फैला रहे हैं उनका हर कीमत पर उन्मूलन किया जाएगा।

इंकलाब (4 दिसंबर) के अनुसार फ्रांस की सरकार ने देश की 76 मस्जिदों के बारे में बारिकी से जांच करने का फैसला किया है, जिनके बारे में यह संदेह है कि वे इस्लामिक आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं। फ्रांस के गृहमंत्री ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां पृथकतावादी हिंसक तत्वों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर रही हैं और इसी सिलसिले में देश के विभिन्न भागों में स्थित 56 मस्जिदों की बारिकी से जांच की जा रही है। जो भी मस्जिद पृथकतावाद या आतंकवाद की गतिविधियों से संबंधित पाई जाएगी उसे हर कीमत पर बंद किया जाएगा।

समाचारपत्रों ने दावा किया है कि जिन 76 मस्जिदों के बारे में गुप्तचर एजेंसियां जांच कर रही हैं इनमें से 16 मध्य फ्रांस में स्थित हैं। जबकि अन्य मस्जिदें देश के अन्य भागों में हैं। फ्रांसीसी प्रवक्ता ने कहा है कि जो मुसलमान शरणार्थी बनकर इस देश में आए थे वे हमारे लिए दिन-प्रतिदिन सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हमने उन्हें मानवीय सहानुभूति के तहत शरण दी थी। मगर वे फ्रांस की संस्कृति और समाज के ढांचे की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। उसका हर कीमत पर उन्मूलन किया जाएगा।

अमेरिकी कांग्रेस में तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंधों का बिल मंजूर

सियासत (13 दिसंबर) के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय का बजट मंजूर कर लिया है जिसमें तुर्की के खिलाफ रूसी एस-400 वायु सुरक्षा तंत्र की खरीद पर प्रतिबंध की मंजूरी भी शामिल है। इस विधेयक में रूस और तुर्की पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीनेट में दो तिहाई से ज्यादा सदस्यों के बहुमत ने 740 बिलियन डॉलर के बजट के पक्ष में अपने मत दिए। इस बजट का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने विरोध किया था और इसको वीटो करने की धमकी दी थी। जब से

तुर्की ने रूस से एस-400 वायु सुरक्षा तंत्र खरीदा है अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कटिबद्ध है।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की नीति तुर्की के मामले में ज्यादा सख्त है और राष्ट्रपति का इरादा प्रतिबंधों से तुर्की क रक्षा उद्योगों और प्रशासन को निशाना बनाने का है। दूसरी ओर एक वरिष्ठ तुर्क अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं उसक कारण दोनों देशों के संबंधों को क्षति पहुंचेगी। उनका कहना था कि अमेरिका और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं। इसलिए एक संधि में शामिल दूसरे देश पर ऐसे प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी प्रतिबंधों की संभावना को देखते हुए वार्तालाप शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक पाबंदियां सभी पक्षों के लिए हानिकारक हैं।

इत्तेमाद (13 दिसंबर) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशां की ओर से तुर्की पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उससे सभी पक्षों को नुकसान होगा। इसलिए तुर्की अपने सहयोगियों के साथ विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान उस समय आया है जब यूरोपीय यूनियन ने यह धमकी दी ह कि अगर पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की ने गैस के भंडारों की खोज बंद न की तो उसके खिलाफ पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा।

जिन क्षेत्रों में तुर्की गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है उन पर यूनान और साइप्रस अपना दावा करते हैं। दूसरी आर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की कांफ्रेंस के बाद कहा है कि यूरोप हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन हम किसी ऐसी नीति को स्वीकार नहीं करेंगे जो कि यूनियन के सदस्य देशों के लिए हानिकारक हो या उससे क्षेत्रीय वातावरण प्रभावित हो। अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा के बाद तुर्की की करेंसी लीरा के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। एक तुर्क अधिकारी ने कहा कि हम आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ■

नाइजीरिया में इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा 110 किसानों की हत्या

अवधनामा (1 दिसंबर) के अनुसार नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम के जिहादियों द्वारा किसानों पर किए गए हमलों में कम-से-कम 110 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बोको हरम ने इन खेत मजदूरों की हत्या की है। यह इस साल के दौरान नागरिकों पर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला है। इस हमले का केन्द्र बोर्नो सूबा का जबरमारी गांव था। इस्लामिक आतंकवादियों ने चावल के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अपना निशाना बनाया और उनके गले काट दिए। आतंकवादी मोटरसाइकिलों पर आए थे। बोर्नो के गवर्नर ने इस गांव का दौरा किया और वहां पर मारे गए लोगों को दफनाने का निर्देश दिया है। गवर्नर के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन मजदूरां की हत्या की गई है वे 1000 किलोमीटर की दूरी से रोजगार के लिए इन खेतों में काम करने के लिए आए थे। इस्लामिक जिहादियों ने काफी महिलाओं का भी अपहरण कर लिया है। बोको हरम का संबंध इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से था। बताया जाता है कि इन आतंकवादियों ने अन्य कई जगहों पर हमला करके 200 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। उन पर आरोप है कि वे सरकार के लिए जासूसी करते थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक इस देश में इस्लामिक आतंकवादी कम-से-कम 36 हजार लोगों की हत्या कर चुके हैं और उनकी हिंसा से तंग आकर 20 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर जान-बचाकर भागना पड़ा है। बोको हरम के जिहादियों ने अब पड़ोसी देशों चाड और कैमरून को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन जिहादियों का सामना करने के लिए इन तीनों देशों की सरकारों ने संयुक्त रक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है।

न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमले की जांच रिपोर्ट

मुंबई उर्दू न्यूज (9 दिसंबर) के अनुसार न्यूजीलैंड सरकार ने 2019 में क्राइस्टचर्च नामक शहर में दो मस्जिदों पर हमला करके 51 मुसलमानों की हत्या के मामले की जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया के जिस नागरिक ने इन मस्जिदों में अंधाधुंध फायरिंग करके निर्दोष लोगों की हत्या की थी, वह दुनिया के अनेक देशों में गया था और भारत में भी तीन महीने ठहरा था।

यह हमला गत वर्ष 15 मार्च को हुआ था और इस हमले में 5 भारतीय नागरिक भी मारे गए थे। इस हमले ने न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया था, जिसे विश्व का सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश माना जाता है। न्यूजीलैंड सरकार ने इस हमले की जांच के लिए रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित किया था। कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि तीस वर्षीय आक्रमणकारी अपने पिता पर निर्भर था और उसने अपने पिता की धनराशि पर दुनिया भर की यात्रा की। इस संदर्भ में वह न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, भारत और उत्तर कोरिया भी गया।

रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अवधि तक वह भारत में ठहरा। इसके बाद वह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी गया था। रिपोर्ट में इस बात का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि भारत में प्रवास के दौरान वह किनके सम्पर्क में आया। परंतु न्यूजीलैंड हेराल्ड नामक समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि आक्रमणकारी का संबंध किसी

आतंकवादी गिरोह से था या उसने विदेशों में आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया था। रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि आक्रमणकारी मुसलमानों से बहुत नफरत करता था और उनसे वह बदला लेना चाहता था। जांच रिपोर्ट 800 पृष्ठों की है। उसे विश्व में बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बहुत दिलचस्पी थी और उसने उसका बारिकी से अध्ययन किया था।

रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि गुप्तचर एजेंसियों का सारा ध्यान इस्लामिक आतंकवाद पर था। इसलिए वह आतंकवाद के अन्य पक्षों पर ध्यान देने में विफल रही। गुप्तचर विभाग की इस विफलता के बारे में वहां के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। रिपोर्ट में इस बात का सुझाव दिया गया है कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी गुप्तचर एजेंसी बनाई जाये जो धर्म, भाषा, कौम और रंग के आधार पर नफरत का प्रचार करने वालों पर नजर रखे। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि देश में अस्त्र-शस्त्र की खरीद के नियमों को भी सुधारा जाए ताकि कोई सरलतापूर्वक हथियार खरीदकर उसका गलत इस्तेमाल न कर सके।

ईरान में विश्व संगठनों द्वारा परमाणु संस्थानों के निरीक्षण पर रोक

रोजनामा सहारा (3 दिसंबर) के अनुसार ईरान की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त प्रवेक्षकों के ईरानी परमाणु संस्थानों के निरीक्षण करने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त संसद ने यह भी फैसला किया है कि यूरेनियम संवर्द्धन के कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा और इस उद्देश्य से यूरेनियम को और अधिक मात्रा में विभिन्न सूत्रों से प्राप्त किया जाएगा। इस कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के निरीक्षकों को ईरानी परमाणु संस्थानों के निरीक्षण क लिए देश में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। कानून में यह भी कहा गया है कि अगर एक महीने में ईरान के परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम पर रोक लगाने वाले देश ईरान के तेल, गैस और बैंकिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को नरम नहीं करते तो ईरान भी अपने परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा।

इस कानून में इस बात की व्यवस्था की गई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुलल्लाह अली खामनेई देश के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के 290 में से 251 सांसदों ने इस कानून के पक्ष में वोट दिए हैं। प्रवेक्षकों का कहना है कि ईरान अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने पर तुला हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रतिबंध लगाए थे उस पर अमेरिका के अतिरिक्त अन्य कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे मगर चीन, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान से अपने समझौते को जारी रखा है। ■

इजरायल द्वारा मुस्लिम देशों से सम्पर्क बढ़ाने का अभियान

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार इजरायल ने मुस्लिम देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है। इसमें उसे अमेरिका से भी सहायता मिल रही है। बताया जाता है कि एक दर्जन मुस्लिम देश इजरायल के सम्पर्क में हैं। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि शीघ्र ही सऊदी अरब और ओमान भी इजरायल के साथ शांति समझौते की घोषणा करेंगे। इजरायली सूत्रों के अनुसार मोरक्को के बाद इजरायल को मान्यता देने वाला अगला देश ओमान हो सकता है। सऊदी अरब भी इजरायल के साथ शांति समझौता करने की संभावना पर विचार कर रहा है। गत दिनों इजरायल के प्रधानमंत्री के सऊदी अरब के दौरे के समाचार लीक हो जाने पर इजरायल और अमेरिका परेशान हैं। जानकार सूत्रों का दावा है कि इजरायल जिन अन्य मुस्लिम देशों के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है उनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजर, माली, जिबूती, मौरीटानिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश शामिल हैं।

सियासत (14 दिसंबर) के अनुसार मोरक्को की ओर से इजरायल को मान्यता देने के बाद अब यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि इजरायल और मोरक्को के बीच गत कई दशक से संबंध चले आ रहे थे और दोनों एक दूसरे के बीच सैनिक और गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान किया करते थे। मोरक्को ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ गुप्त सूचनाएं इजरायल और अमेरिका को उपलब्ध कराईं। इसके अतिरिक्त अन्य अरब देशों की गोपनीय सूचनाएं भी मोरक्का द्वारा इजरायल के हवाले की गईं। मोरक्को में यहूदी काफी संख्या में रह रहे थे। मोरक्को ने दस लाख यहूदियों को अपने देश से सुरक्षित इजरायल जाने की व्यवस्था की। जब मोरक्को 1956 में फ्रांस की गुलामी से मुक्त हुआ था तो यहूदियों के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मगर मोसाद ने जोड़-तोड़ करके मोरक्को में रहनेवाले लाखों यहूदियों को सुरक्षित इजरायल पहुंचाया।

मोरक्को के राजा हसन द्वितीय के शासन का तख्ता पलटने की जब उनके विरोधी महदी बिन बका ने साजिश रची तो इजरायल ने उसकी सूचना मोरक्को के बादशाह को दी। इसके बाद मोरक्का के राजा ने यहूदियों को इजरायल जाने के लिए पूरी छूट दी और मोसाद का एक गुप्त कार्यालय अपने देश में स्थापित किया। मोरक्को से प्राप्त गुप्त सूचनाओं के आधार पर इजरायल ने 1967 के युद्ध में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के अनेक ठिकानों पर बमबारी करके अरब जंगी जहाजों को इजरायल पर हमला करने से पहले ही तबाह कर दिया। यह भी पता चला है कि ओसामा बिन लादेन की हत्या करने के लिए मोसाद ने जो ताना-बाना बुना था उसमें भी मोरक्को शामिल था।

इजरायल पर जंग छेड़ने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप

अवधनामा (1 दिसंबर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के अनुसार इजरायल ने इसलिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की है ताकि वह ईरान के खिलाफ जंग छेड़ सके। एपी नामक संवाद समिति के अनुसार तेहरान में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूहानी ने कहा कि सन् 2000 में देश के परमाणु कार्यक्रम का आधार रखने वाले वैज्ञानिक मोहसिन फख़्रीज़ादेह की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ है जो कि मध्य-पूर्व में युद्ध छेड़कर अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम इजरायल से इस हत्या का बदला लेंगे और ईरान में अस्थिरता पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे।

ज्ञातव्य है कि गत सप्ताह ईरान के सबसे प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख़्रीज़ादेह की तेहरान में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने अंगरक्षकों के साथ जा रहे थे। मोहसिन फख़्रीज़ादेह को पश्चिमी देश और इजरायल ईरान के एटमी हथियारों के निर्माण का जनक करार देते रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार लम्बे समय से इस बात का खंडन करती रही है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं।

दैनिक सियासत (2 दिसंबर) के अनुसार ईरान ने यह दावा किया है कि इजरायल गत 20 वर्षों से फख़्रीज़ादेह की हत्या करने का प्रयास कर रहा था और उसकी हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया है। हत्या का ऑपरेशन बहुत पेचीदा था और इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा किया गया है। जबकि घटनास्थल

पर कोई आक्रमणकारी मौजूद नहीं था। ईरानो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने स्वीकार किया कि हमारे दुश्मन ने हमारे वैज्ञानिक की हत्या करने के लिए आधुनिकतम हथियारों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया कि इस हत्या के पीछे ईरान के विद्रोही संगठन 'मुजाहिदीन खल्क' का भी इसमें हाथ है। मीडिया में यह दावा किया गया है कि जब मोहसिन नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में खड़े बारूद से भरे हुए एक ट्रक में धमाका हुआ जिससे उनकी कार को क्षति पहुंची और उनक एक दर्जन से अधिक रक्षक मारे गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 दिसंबर) के अनुसार ईरान की सरकारी एजेंसी के अनुसार इस वैज्ञानिक की हत्या रिमोर्ट कंट्रोल से चलने वाली मशीनगन से की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मोहसिन फख़्रीज़ादेह अपने परिवार के साथ एक बुलेटप्रूफ कार मं चल रहे थे और उनकी रक्षा के लिए तीन सुरक्षाकर्मियों की गाड़ियां भी चल रही थीं। अचानक उन्हें गोली चलने की आवाजें सुनाई दीं। जब वे बाहर निकले तो उनपर डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर से रिमोर्ट कंट्रोल से चलने वाली मशीनगन से फायरिंग की गई

जिसमें फख़्रीज़ादेह घायल हो गए और दो दर्जन के लगभग उनके रक्षक मारे गए। यह हमला तीन मिनट तक जारी रहा। इस दौरान रिमोर्ट कंट्रोल से संचालित एक बम द्वारा फख़्रीज़ादेह की कार को उड़ा दिया गया। वहां जो शस्त्र मिला है वह इजरायल का बना हुआ है। उस पर इजरायल का लोगो है और उस पर हिब्रू भाषा लिखी हुई है। इससे दो दिन पूर्व एक अन्य ईरानी वैज्ञानिक माजिद शाहरियारी की भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी।

अवधनामा (1 दिसंबर) के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों के हत्यारों को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है। उसन कहा है कि हम बदला लेने के लिए इजरायल के नगरों पर हमला करेंगे। हमें अपने शहीद की हत्या का बदला लेने के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है। दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस हत्या पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 2010 के बाद इजरायल ईरान के एक दर्जन वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है।

सियासत (3 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के एक मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री के उस बयान को अपना निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहसिन फख़्रीज़ादेह की हत्या में सऊदी हाथ भी नजर आता है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा था कि इस हमले का संबंध हाल ही में सऊदी अरब में वहां के युवराज और इजरायली प्रधानमंत्री की गुप्त बैठक से है। इस मुलाकात में इस वैज्ञानिक की हत्या करने की साजिश रची गई थी। सऊदी अरब और ईरान के बीच कई दशकों से शत्रुता चली आ रही है।

इत्तेमाद (6 दिसंबर) ने यह आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे अमेरिका और इजरायल दोनों का हाथ है और इसके तार सऊदी अरब तक फैले हुए हैं। परवेज हफीज नामक स्तम्भकार ने लिखा है कि 22 नवंबर की रात को सऊदी अरब के नगर नियोम में युवराज मोहम्मद बिन सलमान और इजरायली प्रधानमंत्री एवं अमेरिकी विदेश मंत्री की गुप्त बैठक के बाद राजनीतिक पंडितों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अब इरान की शामत आने वाली है। वाशिंगटन पोस्ट ने यह लिखा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ दी जाएगी। 2018 में ईजरायल के प्रधानमंत्री ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसी फख़्रीज़ादेह को इजरायल का दुश्मन नम्बर वन करार दिया था। मोसाद के एजेंट 2010 से लेकर 2020 तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पलीता लगाने के लिए छह से अधिक ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की इसी तरह से हत्या कर चुके हैं। सारी दुनिया को इस बात की जानकारी थी कि न्यूक्लियर साइंस में अपनी निपुणता के कारण फख़्रीज़ादेह अरसे से मोसाद की नजर में खटक रहे हैं। यूरोप और अमेरिका भी जानता है कि इस हत्या के पीछे कौन है? एक आजाद और स्वतंत्र देश के प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या करना ऐसी हरकत नहीं जिसे नजरअंदाज किया जाए। ब्रिटिश समाचारपत्र ऑबजर्वर ने अपने संपादकीय में इस हत्या को एक उत्तेजक कार्रवाई बताया है, जिसका लक्ष्य ईरान को मध्य-पूर्व में स्थित अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जवाबी हमले के लिए उकसाना है। सऊदी अरब भी इस बात के खिलाफ है कि ईरान इस क्षेत्र में परमाणु शक्ति बने।

सऊदी अरब और कतर के बीच शांति समझौते की संभावना

सियासत (7 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब ने यह आशा व्यक्त की है कि कतर के साथ लम्बे समय से चल रहा तनाव दूर हो जायेगा और दोनों के बीच शांति समझौता हो जाएगा। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले विभिन्न अरब देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने में अब तक कतर को बाधक बताया जा रहा था। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर पर 2016 से अनेक तरह के प्रतिबंध लागू कर रखे हैं। अब अमेरिका ने इस तनाव को दूर करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब के मुस्लिम देशों को एकजुट किया जा सके। सऊदी अरब ने यह आरोप लगाया था कि कतर कुर्द विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सउद ने कहा है कि अमेरिका के प्रयासों से दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और इस बात की संभावना है कि अगले एक सप्ताह के भीतर दोनों देशों में शांति और दोस्ती के समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं। कुवैत के अमीर ने इस बात की पुष्टि की है कि सऊदी अरब और कतर के बीच मैत्री का नया युग शीघ्र शुरू होने की संभावना है। अभी जो समझौता किया जा रहा है उसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र शामिल नहीं होंगे। इन देशों ने कतर पर अपनी वायु सीमा, समुद्री सीमा और स्थल सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन देशों ने यह आरोप लगाया था कि कतर ईरान को सऊदी अरब के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग देता है।

बेरूत धमाके में प्रधनमंत्री पर लापरवाही का आरोप

इंकलाब (12 दिसंबर) के अनुसार गत वर्ष लेबनान की राजधानी बेरूत में होने वाले जबर्दस्त धमाकों की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने इन धमाकों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री और तीन मंत्रियों को लापरवाही का दोषी करार दिया है। बेरूत के तट पर स्थित एक गोदाम में छह वर्ष से पड़े हुए 2700 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट में जबर्दस्त धमाका हुआ था, जिसमें कम-से-कम 200 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। प्रारम्भ में ये मत व्यक्त किया गया था कि यह धमाका आतंकवादी कार्रवाई का हिस्सा है मगर बाद में यह पता चला कि इस धमाके का कारण छह वर्ष से एक गोदाम में रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट है। इस धमाके के बाद लेबनान के नागरिकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दिआब को अपने सम्पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बाद इस धमाके की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस धमाके के लिए प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और दो अन्य मंत्री दोषी हैं। रिपोर्ट के अनुसार आयोग को इस बात की जानकारी मिली है जिससे मालूम होता है कि प्रधानमंत्री को इस गोदाम में रखे गए विस्फोटक के बारे में विधिवत सूचना दी गई थी और उन्हें यह भी बताया गया था कि इससे किसी वक्त भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए थे। अरब मीडिया के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाए जाने की संभावना है।

रामपुर में एक मजार को ध्वस्त करने पर विवाद

रामपुर के किले में प्रशासन ने एक पुराने मजार को ध्वस्त करवा दिया था मगर बाद में जनाक्रोश को देखते हुए इसका पुननिर्माण करवाना पड़ा।

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार रामपुर किले में स्थित सैयद जंजीर शाह मियां के प्राचीन मजार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर ध्वस्त कर दिया था। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मजार का मलबा गायब कर दिया गया और जहां मजार था वहां पानी भरवा दिया गया। समाचारपत्र ने इस समाचार के साथ इस ध्वस्त मजार की तीन तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। किले के तीनों दरवाजों पर भारी संख्या में पुलिस नियुक्त कर दी गई ताकि कोई न तो अंदर आये और न ही बाहर जा सके। यह मजार फर्जी था या प्राचीन इस पर काफी विवाद चल रहा है। एडवोकेट शौकत अली खान का कहना है कि यह मजार फर्जी है जबकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष फैजल खान लाला ने आरोप लगाया है कि यह मजार प्राचीन था। तहरीक रोहिलखंड के लेखक नफीस सिद्दीकी का कहना है कि इस मजार का निर्माण नवाब मोहम्मद सईद खान के दौर में हुआ था।

इंकलाब (4 दिसंबर) के अनुसार यह विवाद जोर पकड़ लिया क्योंकि कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि मजार का अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान कुरान का अपमान भी हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि 2005 में यह ढांचा नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई अगर इस बात का सबूत दे दे कि यह ढांचा वहां मौजूद था तो मैं अपने वेतन से उसका पुनर्निर्माण करवा दूंगा। जिले के मुस्लिम विद्वानों ने उत्तर प्रदेश सरकार का दिसंबर 1991 का वह गजट पेश किया जिसमें इस मजार का भी उल्लेख है और यह मजार वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है। इस मजार के ध्वस्त किए जाने के खिलाफ बरेली दरगाह के प्रमुख मौलाना तसलीम रजा खान एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रामपुर पहुंचे और उन्होंने रामपुर के काजी सैयद फैजान रजा हसनी नूरी के साथ घटनास्थल का दौरा किया और यह आरोप लगाया कि सरकार

मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है आर अगर उसने मजार का पुनर्निर्माण नहीं करवाया तो मुसलमान इसके खिलाफ न सिर्फ आंदोलन शुरू करेंगे बल्कि कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने मजार के घटनास्थल का दौरा भी किया। जब यह विवाद ज्यादा बढ़ गया तो जिला प्रशासन ने इस मजार का पुनर्निर्माण करने का फसला किया।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में नए सदस्यों का मनोनयन

रोजनामा सहारा (2 दिसंबर) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के चार सदस्यों को मनोनीत किया है। इनका संबंध दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर से है। जिन चार सदस्यों को मनोनीत किया गया है उनकी कार्यावधि तीन वर्ष तक होगी। इनमें दिल्ली के अली रजा जैदी, उत्तर प्रदेश के नवाबजादा सलीम खान, असम की डॉ. जफरीन महजबीन और जम्मू-कश्मीर के डॉक्टर अली मोहम्मद शामिल हैं। इन्हें शाहीन अख्तर, सैयद शाहिद अली रिजवी, नफीस अहमद और सालिम हुसैन की जगह मनोनीत किया गया है। मौलाना एजुकेशन फाउंडेशन में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सरकारी अधिकारी और नौ मनोनीत होते हैं। सरकारी अधिकारियों में केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तारिक मंसूर, जामिया मिलिया इस्लामिया की उपकुलपति नजमा अख्तर और मुनवरी बेगम शामिल हैं। जबकि मनोनीत सदस्यों में अशफाक सफी, शाकिर हुसैन अंसारी, सुरेन्द्र पाल सिंह, शेख अब्दुल करीम और अशरफ अली शेख शामिल हैं।

बांग्लादेश में सात व्यक्तियों को फांसी

रोजनामा सहारा (3 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश में ढाका के एक न्यायालय ने किरानीगंज जिला के अवामी लीग के एक नेता अतीकुल्लाह चौधरी की हत्या के आरोप में सात व्यक्तियों को मौत की सजा दी है। न्यायालय के अनुसार अतीकुल्लाह चौधरी 10 दिसंबर, 2013 को लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव एक अस्पताल के पास पाया गया था। बाद में उनके बेटे सईद उर रहमान चौधरी ने अपने पिता के शव की पहचान की थी। इस मुकदमें में यह आरोप लगाया गया था कि जमात-ए-इस्लामी से संबंधित गुलजार हुसैन, शम्पा अख्तर, मोहम्मद आसिफ, अहसानुल कबीर, ताजुल इस्लाम, जहांगीर खान, रफीकुल इस्लाम ने उनकी हत्या की है।

फिलीस्तीन की स्थापना से पहले इजरायल से संबंध नही

रोजनामा सहारा (6 दिसंबर) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान ने कहा है कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश नहीं बन जाता तब तक सऊदी अरब इजरायल से कोई संबंध नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारी शर्त यह है कि फिलिस्तीन की 1967 वाली स्थिति को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया में इजरायल के साथ सऊदी अरब के राजनयिक संबंधों को स्थापित किए जाने के बारे में जो खबरें आ रही हैं वह नराधार हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को डेढ़ अरब का कर्ज

इत्तेमाद (15 दिसंबर) के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को तुरंत डेढ़ अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है ताकि पाकिस्तान सऊदी अरब से लिए गए कर्जे को वापस कर सके। यह दूसरा अवसर है जब चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सामने आया है। इससे पूर्व भी चीन पाकिस्तान को एक अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब स जो तीन अरब डॉलर कर्ज लिया हुआ था उसमें से ढ़ाई अरब वह वापस करेगा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि शेष एक अरब की धनराशि भी पाकिस्तान अगले महीने सऊदी अरब को लौटा देगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 15 दिसंबर, 2018 को साढ़े तीन अरब डॉलर का कर्ज दिया था।